उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1165/ग्यारह-2-23-9(42)/17-टी.सी.67-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(299)-2023

लखनऊ; दिनांकः 17 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकसठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकसठवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 4 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।
नियम 9 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के नियम 9 में, उपनियम (1) में, परन्तुक में वृहत पंक्ति में शब्द "उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में" निकाल दिये जायेंगे ।
नियम 10क का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 10क में शब्द और अंक "किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द "कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा" के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :- "रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर, या प्ररुप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वतर हो, सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा" ।

नियम 21क का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 21क में,- उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- (i)"(2क) जहां- धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे या उसके पूर्तिकर्ता द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक पूर्तियों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अध्यधीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।"; (ii) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्;- "परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लघंन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा । "

नियम 23 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 23 में, उपनियम(1) में, तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से- (क) शब्द "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर" रख दिये जाएंगे; (ख) पहले परंतुक में, शब्द "परन्तु" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :- " परन्तु ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी: परन्तु यह और कि"; (ग) दूसरे परन्तुक में, शब्द "परन्तु यह और" के स्थान पर शब्द "परन्तु यह भी" रख दिये जायेंगे।
नियम 25 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन- (1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा। (2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।"।

नियम 43 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात्- (क) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) निकाल दिया जाएगा; (ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "स्पष्टीकरण 3:- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के उप-पैरा (क) में उल्लिखित ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, का मूल्य अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों में आने वाले यात्रियों के लिए पहुंच टर्मिनल पर शुल्क रहित दुकानों से माल की पूर्ति का मूल्य होगा।"।
नियम 46 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, नियम 46 में, खंड (च) में, परंतुक में, शब्द "प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा" के स्थान पर शब्द "प्राप्तिकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तिकर्ता के अभिलेख में पते के रुप में समझा जाएगा" रख दिये जायेंगे;
नियम 59 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, नियम 59 में, उपनियम (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी की गई है, को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या किसी पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह या तो उक्त सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है; (च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल

		या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरें प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबन्धों के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"।
नियम 64 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली में, नियम 64 में, 01 अक्टूबर 2023 से शब्द "भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधीनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" रख दिये जायेंगे।
नियम 67 का संशोधन	11.	उक्त नियमावली में, नियम 67 में, उपनियम (2) में, 01 अक्टूबर, 2023 से शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर एकत्र कर के ब्यौरे" रख दिये जाएंगे ।
नया नियम 88घ का बढ़ाया जाना	12.	उक्त नियमावली में, नियम 88ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "**88घ. इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता से व्यवहार करने की रीति**.- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत प्ररूप जीएसटीआर 2ख में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी रकम या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए और यह निदेशित करते हुये कि--

		(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ग में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य में समतुल्य रकम को सात दिन की अवधि के भीतर संदत्त करे, या (ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में पूर्वोक्त भिन्नता के लिए कारणों को सात दिनों के भीतर स्पष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी । (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो, (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की रकम के साथ पूर्णत: या भागत: प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य के समतुल्य रकम उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या (ख) इनपुट कर प्रत्यय से अधिक की रकम जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भितर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा । (3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त रकम, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी ।" ।
नियम 89 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली में, नियम 89 में,- (क) उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक में शब्द "उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार प्रस्तुत की गई उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" शब्द रख दिये जाएंगे । (ख) उपनियम (2) में, खंड (ट) में शब्द "ऐसा कथन जो कर" के पश्चात् शब्द "और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य रकम" बढ़ा दिये जाएंगे ।"

नियम 94 का संशोधन	14.	उक्त नियमावली में, नियम 94 को 1 अक्टूबर, 2023 से उपनियम (1) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(2) निम्नलिखित अवधियां, उपनियम (1) के अधीन विलम्ब की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, अर्थात्:- (क) नियम 92 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 08 में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिवस से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक- (i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, या (ii) अतिरिक्त दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, में लेता है; और (ख) ऐसी कोई समयावधि, जो या तो आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के ब्यौरों को विधिमान्य करने के लिए ली गई, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की रकम जमा नहीं हो सकी थी ।" ।
नियम 96 का संशोधन	15.	उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उपनियम (2) में, दोनों परंतुक निकाल दिये जायेंगे ।
नियम 108 का संशोधन	16.	उक्त नियमावली में, नियम 108 में, उपनियम (1) में,- (क) शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" के स्थान पर शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी" रख दिये जाएंगे । (ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह कि अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में हस्तकृत रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि (i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या (ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है, और ऐसे मामले में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी ।" ।
नियम 109	17.	उक्त नियमावली में, नियम 109 में उपनियम (1) में (क) शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा

का संशोधन		अधिसूचित किया जाए" के स्थान पर शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा" रख दिये जाएंगे । (ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में हस्तकृत रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है, और ऐसे मामले में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी ।" ।
नया नियम 142ख का बढ़ाया जाना	18.	उक्त नियमावली में, नियम 142क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "142ख. अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय रकम की सूचना-(1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई रकम धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो, तो उचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त रकम के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, रकम का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की रकम का उक्त सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर संदाय करने का निदेश देगा और उक्त रकम प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग- 22 में पोस्ट की जाएगी। (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा। (3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी रकम उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी उस रकम की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम 143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

नियम 162 का संशोधन	19.	उक्त नियमावली में, नियम 162 में, 1 अक्टूबर, 2023 से -- (क) उपनियम (3) में, शब्द "उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और" निकाल दिये जायेंगे; (ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "(3क) आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपनियम (3) के अधीन शमनीय रकम अवधारित करेगा: - **सारणी**

क्र.सं.	अपराध	**यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम**	**यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के साठ प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम
2	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध		
3	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (घ) में		

				विनिर्दिष्ट अपराध	के अध्यधीन ।	या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अध्यधीन ।	
			4	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट अपराध			
			5	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।	
			6	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट अपराध			
			7	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट अपराध			
			8	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) से खंड (च)	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर	

				और खंड खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम	प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम

परंतु यह कि जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणी के अधीन आता है, वहां ऐसे मामले में, शमनीय रकम, उस अपराध के लिए अवधारित रकम, जिसके लिए उच्चतर शमनीय रकम विहित की गई है, होगी ।

नया नियम 163 का बढ़ाया जाना	20.	उक्त नियमावली में, नियम 162 के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2023 से निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "163. जानकारी का सहमति आधारित साझाकरण.- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है- (क) समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी-01; (ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी; (ग) समय-समय पर यथासंशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कुछ कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 1, धारा 158क (जिसे आगे "अनुरोध प्रणाली" कहा गया है) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के साथ, अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि जहॉ लागू है ब्यौरों सहित सहमति संसूचित करेगी । (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए केवल तभी देगा जब वह उन सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर लेगा, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की

		सहमति प्राप्त की गई मानी जाएगी। (3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ संसूचित करेगा- (क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और (ख) यथास्थिति, कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है।
प्ररूप जीएसटी आर-3क का संशोधन	21.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-3क में, अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- " या **वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर व्यतिक्रमी को धारा 46 के अधीन विवरणी भरने का नोटिस** वित्तीय वर्ष - विवरणी का प्रकार : जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क एक रजिस्ट्रीकृत करदाता होने के कारण, आपको की गई या प्राप्त की गई पूर्ति के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना होगा और/या पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक स्व-प्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित करना होगा। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी फाइल नही की है । 2. अतः, आपसे अनुरोध है कि आप 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी फाइल करें, जिसके न होने पर, विधि के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित समुचित कार्रवाई की जाएगी । 3. यदि ऊपर निर्दिष्ट विवरणी, शास्ति कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा फाइल की गई है, तो यह नोटिस वापस ले लिया गया समझा जाएगा । 4. यह एक प्रणाली जनित नोटिस है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। "
प्ररूप जीएसटी आर-5क का संशोधन	22.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-5क में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी,-- (i) शीर्षक में, शब्द "ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगमन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा

पुनः प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्तियों के ब्यौरे" रख दिये जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :--

"4. अवधि: महीना - ..... वर्ष .....

4(क) एआरएन :

4(ख) एआरएन की तारीख : .....";

(iii) क्रम संख्या 5 में, शब्द "उपभोक्ता" के स्थान पर, शब्द "गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रख दिये जाएंगे ;

(iv) क्रम संख्या 5क में, शब्द "व्यक्तियों" के स्थान पर, शब्द "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रख दिये जाएंगे ;

(v) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :--

"5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय जावक पूर्तियां जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है ।

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	**कराधेय**
1	**2**

5ग. गैर कराधेय योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय जावक पूर्तियों में संशोधन,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है ।

(रकम रुपए में)
<table>
<tr><th>मास</th><th>मूल जीएसटीआईएन</th><th>संशोधित जीएसटीआईएन</th><th>कराधेय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>";</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी आर-8 का संशोधन</td>
<td>23.</td>
<td>
उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी,--

(क) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् ;--

"3.1. गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे
<table>
<tr><th>पूर्तिकर्ता की नामांकन संख्या</th><th>की गई पूर्तियों का सकल मूल्य</th><th>लौटाई गई पूर्तियों का मूल्य</th><th>पूर्तियों का शुद्ध मूल्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>";</td></tr>
</table>
(ख) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् ;--

"4.1. गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे में संशोधन
<table>
<tr><th>मूल विवरण</th><th>पुनरीक्षित विवरण</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			मास	पूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	पूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	की गई पूर्तियों का सकल मूल्य	लौटाई गई पूर्तियों का मूल्य	पूर्तियों का शुद्ध मूल्य
			1	2	3	4	5	6
								"।
प्ररूप जीएसटी आर-9 का संशोधन	24.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक 'अनुदेश' के अधीन,-- (क) पैरा 4 में,--- शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2021-22" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2022-23" बढ़ा दिये जायेंगे; सारणी में, दूसरे स्तंभ में,-- क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के समक्ष, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् ;-- 'वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी पूर्ति (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी पूर्तियों को पृथक रूप से छूट प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट-प्राप्त" में इन दो छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड शीर्षो के लिये समेकित जानकारी की पूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।'; क्रम संख्या 5ज, 5झ और 5ञ और 5ट के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ; (ख) पैरा 5 में, सारणी में दूसरे स्तंभ में,-- क. क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6 ङ के समक्ष अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22", के स्थान पर, अक्षर, अंक और शब्द क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ; ख. क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;					

(ग) पैरा 7 में,--

क. शब्द और अंक "30 नवंबर, 2022 तक फाइल" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भाग V, पूर्ववती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारो का विवरण शामिल है, किन्तु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत किया गया है,";

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्या 10 एवं 11 के समक्ष, अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी पूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किन्तु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर तक जो 30 नवम्बर 2023 तक फाइल किये गये थे, के **प्ररूप जीएसटीआर1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहाँ घोषित किये जायेंगे ।";

(II) क्रम संख्या 12 के समक्ष, -

शब्द अंक और कोष्ठक "30 नवंबर, 2022 तक" यहां घोषित किया जाएगा। **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्योरे को भरने के लिये उपयोग की जा सकेगी है।", के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । **प्ररूप जीएसटीआर-3ख की** सारणी 4 (ख) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।"

अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के समक्ष, -

(i) शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये

		वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किये जाएंगे।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्: वित्तीय वर्ष में, 2022-23 के लिये, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिये आईटीसी अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए विवरणी में लिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिये उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था, किंतु जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया था, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किया जायेंगे। "; (ii) अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जायेंगे; (घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,- (क) II. 15क, 15ख, 15ग, और 15घ ; और 15ङ, 15च और 15छ के समक्ष-- अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर क्रमश: अक्षर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जाएंगे ।"; (ख) क्रम संख्यां 16क, 16ख और 16ग के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर क्रमश: अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जाएंगे ।"; (ग) क्रम संख्यां 17 एवं 18 के समक्ष शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए" रख दिये जायेंगे ।
प्ररुप जीएसटी आर-9ग का संशोधन	25.	उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटीआर -9ग में,- (i) भाग क में, सारणी में (क) क्रम संख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"ख-1	6%					।";

(ख) क्रम संख्या 11 में, वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"6%					|";

(ग) भाग 5 में वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात, :-

"6%					|";

(ii) 'अनुदेश' शीर्ष के अधीन,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 5ख के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 14 के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जाएंगे ;

प्ररुप जीएसटीआर एफ डी-01 का संशोधन

26. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में, उपाबंध 1 में विवरण-साक्ष्य के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"

क्र.सं.	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			संदत्त रकम के ब्यौरे						दावा किए गए प्रतिदाय के ब्यौरे					
	दस्तावेज का प्रकार	क्षेत्र सं.	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट कर)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

";

नया प्ररूप जीएसटी डी आरसी-01ग

27. उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग

और
जीएसटी डी
आरसी-01घ

[नियम 88घ देखें]

भाग - क (प्रणाली जनित)

इनपुट कर प्रत्यय और विवरणी में उपभोग किए जाने वाले ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत: जनित कथन में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की जानकारी

सन्दर्भ संख्या: तारीख:

जीएससटीआईएन

विधिक नाम :

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा विवरणी में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में उपयोग करते हुए, ... रुपए की रकम द्वारा <> से <> तक की अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत:जनित विवरण के अनुसार आपके लिए इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्ध रकम अधिक है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, -

प्ररुप प्रकार	उपलब्ध/उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (रुपए में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर	कुल
प्ररुप जीएसटीआर-2ख					
प्ररुप जीएसटीआर-3ख					
अधिक उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय					

2. नियम 88घ के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर इनपुट कर प्रत्यय का संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें, और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारणों को

सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर संदत्त न की गयी हो ।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की कोई धनराशि सात दिनों की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, वहाँ उक्त धनराशि यथास्थिति, अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग किये जाने हेतु दायी होगी ।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की सन्दर्भ संख्या:

तारीख

क. मैंने, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित, पूर्णत: या भागत:, संदाय कर दिया है तथा उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन संदाय	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी	उपकर	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8

और/या

ख. आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारण, जो संदत्त किया जाना बाकी है, निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	अंतर के संक्षिप्त कारण	ब्यौरे (आज्ञापक)

1	उक्त कर अवधि में (जिसके अंतर्गत किश्तों में माल की प्राप्ति संबंधी मामला भी है) माल या सेवाओं की आवक पूर्तियों के प्राप्त न होने के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
2	अनावधानता या त्रुटि या लोप के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
3	आयात के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय जो **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में प्रतिबिम्बित नहीं है,	
4	एसईजेड से आवक पूर्तियां, जो **प्ररूप जीएसटी 2ख** में प्रतिबिम्बित नहीं हैं, के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
5	पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्रतिवर्ती इनपुट कर प्रत्यय का आधिक्य, जिसका चालू कर अवधि में पुन: दावा किया जा रहा है	
6	पूर्तिकर्ता को पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37 के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
7	पूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37क के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में विवरणी फाइल करने पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
8	गलत ब्यौरों के साथ फाइल किया गया **प्ररूप जीएसटी 3ख** और उसे अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (जिसमें टंकण संबंधी गलतियां, गलत कर दर, आदि सम्मिलित हैं)	
9	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

सत्यापन

एतद्द्वारा मैं, ... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम/प्रास्थिति : .....

स्थान : .....

तारीख : .....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 01घ

(नियम 142ख देखे)

धारा 79 के अधीन वसूलनीय रकम की सूचना

सन्दर्भ संख्या : .....

तारीख : .....

1. सूचना के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष :

(ख) कर अवधि : ..... से ..... तक

2. अधिनियम की धारा(धाराओं) या नियम(नियमों), जिनके अधीन सूचना जारी की जाती है : <धारा 79 के साथ पठित धारा 75(12) के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स प्रदान किया जाए>

3. संदेय कर, ब्याज या किसी रकम के ब्यौरे :

(रकम, रुपए में)

कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (पूर्ति का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

आपको सात दिवस के भीतर संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है, जिसमें असफल

		रहने पर अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी । **हस्ताक्षर : ....** **नाम : ....** **पदनाम : ....** **अधिकारिता : ....** **पता : ....** सेवा में जीएसटीआईएन/आईडी नाम : .... पता : .... **टिप्पणी :** I. केवल लागू क्षेत्र ही भरे जाएं ।" **....................**

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 17/4/25

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव